उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-05/2018/ 99/92-2-18-104जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 17 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुंचाये जाने आदि अनियमितताओं के संबंध में शासन के पत्र संख्या-32/2015/ 1862/92-1-15-104जांच/13 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, पश्चिमी क्षेत्र, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-286/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/ - श्रावस्ती/2016-17 दिनांक 28-07-2016 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 14-09-2016 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 25-10-2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी से 15 दिन के अन्दर उनका अभ्यावेदन उपलबध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु तय समय सीमा तक अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-19/2017/69/92-2-17-104जांच/13 दिनांक 12-01-2017 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति प्रखण्ड-झॉसी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध कर उन्हें परिनिन्दा का दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

3- श्री विजय कुमार दूबे द्वारा शासन के उक्त दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 के विरूद्व मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या-424/2017 विजय कुमार दूबे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। मा0 अधिकरण में उक्त निर्देश याचिका में अपने आदेश दि0 17-11-17 द्वारा शासन के दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 को अपास्त करते हुये अपचारी अधिकारी श्री दूबे को पुन: मौखिक सुनवाई व प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान करते हुये 04 माह में जांच की कार्यवाही पूर्ण किये जाने का आदेश पारित किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 17-11-2017 के समादर में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 को निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 23.04.2015 प्रचलित अनुशासनिक जांच पुन: संस्थित की जाती है तथा जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, पश्चिमी क्षेत्र, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को शासन द्वारा पूर्व में निर्गत आरोप पत्र

के क्रम में अपचारी अधिकारी, श्री विजय कुमार दूबे को मौखिक सुनवाई व प्रति परीक्षण का अवसर देते हुये पुन: नवीन जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु एतदद्वारा निर्देशित किया जाता हैं।

5- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-05/2018/99/(1)/92-2-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभिंयता, प0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके प0 सं0-286/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/श्रावस्ती/2016-17 दि0 28-07-2016 के क्रम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

3- श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति प्रखण्ड-झॉसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in